

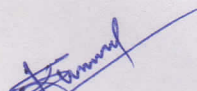
पपत्र-17

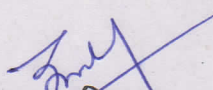
परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

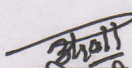
प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त

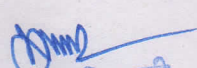
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर 11 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें केवल 10 वृक्षों का पातन किया जाएगा, अन्य पौधे अन्यत्र रोपित किये जायेंगे।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लाठान०वि०
चम्पावत।


अधीक्षक अभियन्ता
आवेशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड लाठान०वि०
चम्पावत


वन क्षेत्र अधिकारी
बूम रेंज (सूखीडाँग)
चम्पावत वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
ह०/—
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।
प्रभागीय वनाधिकारी

पपत्र-154

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी 0-31 से सिलाड़ (3.150 किमी 0) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 11 वृक्षों में से वास्तविक रूप से 10 वृक्षों का पातन किया जाना है। बोना प्रजाति (0-10, 10-20) व्यास के 1 वृक्ष का पुनः रोपण किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

अधिसूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग

प्रमाणीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।
प्रमाणीय वनाधिकारी